बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/ आरोप (ट्रैप) सहरसा 02–88/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–............

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक–1200/अप0शा0, दिनांक–23.07.2025 से प्राप्त सूचनानुसार **श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पतरघट, सहरसा** के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0–52/2025 दिनांक–10.07.2025, धारा–7(a) (c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में गठित धावादल के द्वारा दिनांक–11.07.2025 को परिवादी श्रीमती द्रौपति देवी से अंचल अधिकारी, पतरघट, सहरसा को 20,000/– (बीस हजार) रूपये मात्र रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, भागलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार इन्हें न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा, भागलपुर में भेजा गया है। फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 की उप कंडिका 'क' एवं 'ग' के तहत विभागीय संकल्प संख्या–1650(15), दिनांक–04.09.2025 द्वारा श्री कुमार को न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि–11.07.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री कुमार द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में दिनांक–05.12.2025 को योगदान समर्पित किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 (3) (i) के तहत श्री कुमार का योगदान दिनांक–05.12.2025 स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से ही निलंबन मुक्त किया जाता है।

4. चूँकि यह मामला रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने से सम्बन्धित है, जो घोर कदाचार की श्रेणी में आता है, उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 के उप कंडिका (क), (ग) एवं कंडिका–3 की उप कंडिका–(II) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री राकेश कुमार को आदेश निर्गत की तिथि से **पुनः निलम्बित** किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन–निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय–**आयुक्त कार्यालय, गया** निर्धारित किया जाता है, जहाँ वे नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करेंगे। उपस्थिति दर्ज करने के आलोक में उन्हें जीवन–निर्वाह भत्ता नियमानुसार दिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Suspension\Rakesh kumar_CO (Patarghat_saharsa)_Trap_ Re Suspension.doc

निबंधित

ज्ञापांक–15/ आरोप (ट्रैप) सहरसा 02–88/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को उनके पत्रांक–1200/अप0शा0, दिनांक– 23.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ई–मेल/
निबंधित

ज्ञापांक–15/ आरोप (ट्रैप) सहरसा 02–88/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/समाहर्त्ता, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक–15/ आरोप (ट्रैप) सहरसा 02–88/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पतरघट, सहरसा सम्प्रति निलंबित (**पता–ग्राम+पो0–कलारामपुर, थाना–मुफ्फसिल, जिला–मुंगेर पिन–811211, मोबाईल नं0–9835371728**) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/ आरोप (ट्रैप) सहरसा 02–88/2025– 169 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–20.02.26

प्रतिलिपि :–माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/02/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Suspension\Rakesh kumar_CO (Patarghat_saharsa)_Trap_ Re Suspension.doc